राजस्थान सरकार

न्यायालय एकल माध्यस्थ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना
जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

आर्बिट्रेशन प्रार्थना–पत्र सं. 06 / 2023

प्रार्थी–

1. श्री जीवाराम पुत्र लच्छाराम जाति कुम्हार, निवासी भाटा, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. श्रीमान सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई जोधपुर, पता 188 उम्मेद हैरिटेज, रातानाडा, जोधपुर 342011 राजस्थान।

माध्यस्थम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरूद्ध भारतमाला अमृतसर–कांडला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754–K के के 482.243 से किमी 490.243 (सिणधरी) तक सड़क निर्माण में निजी परिसम्पति जल होज, तारबंदी आदि (अधिसंरचना) का मुआवजा दिलाने हेतु।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी जीवाराम स्वयं अनुपस्थित।
2. श्री विनोन्द शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 27.08.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अप्रार्थी भूमि अवाप्ति सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी अवार्ड के विरूद्ध दिनांक 03.01.2022 को न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर एवं दिनांक 11.12.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग संख्या 754 मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754K के 482.243 से किमी 490.243 (सिणधरी) तक के निर्माण

जिला कलक्टर
बालोतरा

(चौड़ाकरण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) में मौजा भाटा के खसरा संख्या 792/1 में निर्मित अधिसंरचनाओं के मुआवजे का अवार्ड जारी नहीं किया गया है। अवाप्तसुदा भूमि खसरा नंबर 729/1 में निर्मित अधिसंरचना को समुचित जांच एवं मौका निरीक्षण कर तय मानकों के आधार पर सम्पतियों का मुल्य निर्धरण कर मुआवजा दिलाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया एवं प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब में प्रकट किया कि मौजा भाटा के खसरा नंबर 729/1 में निर्मित अधिसरचनाओं के आधार पर समस्त विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए एवं अवाप्ति से पूर्व तहसीलदार व संबंधित पटवारी से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्टो के आधार पर ही उक्त अवार्ड जारी किया गया है। उक्त संबंध में 3(जी) दिनांक 07.11.2019 व 14.12.2021 को जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा लंबे समय बाद उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसमें वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी किसी भी प्रकार से वर्तमान में नये सिरे से भैतिक सत्यापन कर मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा नियत में खोट आने से एवं मनगढत तथ्यों के आधार पर यह आवेदन पेश किया है, जो निराधार होने से खारिज योग्य है।

5. प्रार्थी स्वयं दौराने बहस बावजूद सूचना अनुपस्थित ।

6. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस व लिखित बहस में कथन किया कि प्रार्थी जीवाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र साधारण प्रारूप में प्रशासनिक तौर पर जिला कलक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया है, न कि धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत मध्यस्थ महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया है, इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मध्यस्थ कार्यवाही के तहत विचारण नहीं किया जा सकता। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र समर्थन में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिये शपथ पत्र की सत्यता व प्रमाणिकता पर विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रार्थी ने सक्षम प्राधिकारी के अवार्ड के बिना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त प्रारम्भिक आपतियों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाये योग्य है। जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कलक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक 221 दिनांक 31.01.2022 में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि पर स्थित संरचना/मकान के सबंध में दिनांक 14.12.2021 को राशि 5,26,846/– रू का संशोधित अवार्ड प्रार्थी के पक्ष में पारित किया जा चुका है, इसलिए प्रार्थी अब माननीय मध्यस्थ महोदय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः इस आधार पर भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही यह कथन किया कि प्रार्थी सुनवाई के समय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने हेतु दिनांक 22.03.2022 से लगातार अनुपस्थित रहा है, इस हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

7. हमने अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754K के 482.243 से किमी 490.243 (सिणधरी) तक के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) हेतु प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की भूमि मौजा भाटा के खसरा संख्या 792/1 भूमि अवाप्त की गई थी। सक्षम प्राधिकारी से तलब किया गया मूल अभिलेख का अवलोकन करने पाया कि मुआवजे का अवार्ड आदेश दिनांक 07.11.2019 को पारित होना बताया गया, लेकिन सहवन से खसरा संख्या 729/1 के स्थान पर 750 अंकित हो गया, जिस पर खसरा संख्या 750 के स्थान पर खसरा संख्या 729/1 का अंकन किया जाकर एल.एस.टी नंबर 101 की सरंचना मकान की मुआवजा राशि 5,26,846/–रू का भुगतान प्रार्थी को किये जाने हेतु दिनांक 14.12.2021 को संशोधित आदेश पारित करना बताया गया। साथ ही प्रार्थी को जरिये चैक संख्या 959875 दिनांक 16.12.2021 को भुगतान करना बताया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को अपाप्तसुदा भूमि का नियमानुसार भुगतान किया गया। इसके साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी सुनवाई के समय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने हेतु दिनांक 22.03.2022 से लगातार अनुपस्थित रहा है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से प्रार्थी दिनांक 22.03.2022 से लगातार अनुपस्थित पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि पर स्थित संरचना/मकान के संबंध में दिनांक 14.12.2021 को प्रार्थी के पक्ष में पारित हो चुका है। इस प्रकार भूमि अवाप्ति अधिकारी, सिणधरी द्वारा पारित अवार्ड 14.12.2021 में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी द्वारा पारित आदेश 14.12.2021 को यथावत रखा जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हाकर नंबर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बालोतरा

(सुशील कुमार)
एकल माध्यस्थ
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना
जिला कलक्टर, बालोतरा।